Commission for Tripura and other parts of the country during the 8th Plan period will be finalised along with the finalisation of the Eight Five Year Plan for the country.

Spread of TB in Rajasthan

49. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the survey conducted by the Mortality Audit Cell of Santokha Surlabhji Memorial Hospital, Jaipur revealing rampant TB in Rajasthan with high mortality rate;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the nature and quantum of Central assistance given to the State Government to meet the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) This Ministry is not aware of any such survey.

(b) and (c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए लाभ

50. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश मे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये गए विभिन्न कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों के अधीन इन श्रेणियों के और अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्या नई पहल की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) 1988–89 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में के० वी० आई० क्षेत्र से लाभान्वित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातिय के व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 24,448 तथा 11,575 थी ।

(ख) इन वर्गों के और अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से के०वी०आई० सी० द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) देश के चुने हुए क्षेत्रों में, जहां अनु०जा०/अनु०जन०जा० की आबादी काफ़ी है, विशेष कार्यक्रम आरंभ करना ।

(2) राज्यों के लिए के०वी०आई०सी० के कुल बजट आबंटनों में अनु०जा०/अनु०ज० जा० के लिए अलग आबंटन निर्धारित करना ।

(3) ऐसी योजनाएं अलग से रखने का सुनिश्चित करना जो विशेष रूप से अनु०जा०/अनु०ज०जा० समुदायों के लाभ के लिए अनुकूल हों ।

(4) गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले अनु०जा०/अनु०ज०जा० कारीगरों के लाभ के लिए 75% अनुदान तथा 25% ऋण के उदारीकृत सहायता प्रतिमान लागू करना, जो इस समय देश के अन्य क्षेत्रों के लिए लागू है । ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी, जिनके सदस्यों की कुल संख्या में दो तिहाई संख्या अनु० जा०/अनु०ज०जा० के कारीगरों की हो।

(5) बड़ी संस्थाओं को 2.50 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त सहायता देना, बशर्ते कि वे अतिरिक्त धनराशि को अनु०जा० तथा अनु०ज०जा० के लाभ के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल करें ।

मध्य प्रदेश में विमान सेवायें

51. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (i) रायपुर-दिल्ली और (ii) इंदौर-बम्बई के